

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936

No. 81]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 6 फरवरी, 2015

बैंकिंग.आर.आरबी. सं. 7946 /03.05.100/2014-15.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शामिल करने का निदेश देता है, नामतः :—

1. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

चंदन सिन्हा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./38/2014]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th February, 2015

DBR.RRB. No. 7946/03.05.100/2014-15.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following Regional Rural Bank, namely:—

1. Rajasthan Marudhara Gramin Bank

CHANDAN SINHA, Executive Director

[ADVT-III/4/Exty./38/14]

अधिसूचना

मुम्बई, 6 फरवरी, 2015

बैंकिंग.आर.आरबी. सं. 7947/03.05.100/2014-15.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निकाल देने का निदेश देता है, नामतः :—

1. मरुधरा ग्रामीण बैंक
2. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक

चंदन सिन्हा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन—III/4/असा./38/14]

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th February, 2015

DBR.RRB. No. 7947/03.05.100/2014-15.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following Regional Rural Banks, namely:—

1. Marudhara Gramin Bank
2. Mewar Aanchalik Gramin Bank

CHANDAN SINHA, Executive Director

[ADVT-III/4/Exty./38/14]